संख्या-2 / 3651/38-3-2013-3572/2011

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र त्रिवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक दिसम्बर, 2013

विषय- वेतन समिति (2008) के नवम प्रतिवेदन भाग-1 में राजकीय विभागों के आशुलिपिक संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-407/स्था0-3/2013, दिनांक 15 मई, 2013 तथा पत्र संख्या-997/स्था0-3/2013, दिनांक 06 सितम्बर 2013 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2056/दस-54(एम)/2008टीसी, दिनांक 08 सितम्बर, 2010 द्वारा आशुलिपिक संवर्ग के सम्बन्ध में लिये गये सामान्य निर्णय के अनुसार आशुलिपिक संवर्ग के वर्तमान में विद्यमान चार स्तरीय संवर्गीय ढांचे के स्थान पर पदों को 50:35:15 के अनुपात में विभाजित करते हुए निम्नानुसार त्रिस्तरीय ढांचा रखे जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्र0	पदनाम	पुनरीक्षित वेतन संरचना (रू0)		पदों का प्रतिशत	शैक्षिक अर्हता/ भर्ती विधि
		वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आशुलिपिक	5200-20200	2800	50	संवर्ग में प्रथम स्तर का पद सीधी भर्ती का पद होगा। इस पद पर भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता- इंटरमीडिएट के साथ हिन्दी आशुलिपि में निर्धारित गति 80 शब्द प्रति मिनट के साथ कम्प्यूटर से सम्बन्धित ज्ञान (डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसाइटी द्वारा संचालित सी0सी0सी0 पाठ्यक्रम अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना) अनिवार्य अर्हता होगी।
2.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2	9300-34800	4200	35	यह पद द्वितीय स्तर के होंगे। इन पदों को ज्येष्ठता के आधार पर न्यूनतम 08 वर्ष की संतोषजनक वाले आशुलिपिक पदधारकों से पदोन्नति कर भरा जायेगा।

http://upsanskrit.up.nic.in

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1	9300-34800	4600	15	यह पद तृतीय स्तर के होंगे। इन पदों को ज्येष्ठता के आधार पर आशुलिपिक पद की सेवाओं को जोड़ते हुए न्यूनतम 15 वर्ष की संतोषजनक सेवा वाले ऐसे वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 के पदधारकों, जिनके द्वारा इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, से पदोन्नति कर भरा जायेगा।

3- उपर्युक्त निर्णय के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग के अधीन आयुक्त, ग्राम्य विकास कार्यालय (मुख्यालय) में कार्यरत आशुलिपिक संवर्ग को उपर्युक्तानुसार वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 08 सितम्बर, 2010 में दी गयी व्यवस्थानुसार 50:35:15 के अनुपात में पुनर्गठित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- उपर्युक्त संस्तुतियों के अनुसार सम्बन्धित पदों पर उच्चीकृत वेतनमान का लाभ दिनांक 08 सितम्बर, 2010 से अनुमन्य कराया जायेगा एवं उक्त व्यवस्था का समावेश सम्बन्धित सेवा नियमावली में शीध्र करा लिया जायेगा।

5- उक्त शासनादेश वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-वे0आ0-2-1243/दस-2013, दिनांक 13 दिसम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुभाष चन्द्र त्रिवेदी)
विशेष सचिव।

संख्या-3651(1)/38-3-2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
4- वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2 (तीन प्रतियों में)
5- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा0 हरिश्चन्द्र)
विशेष कार्याधिकारी।

http://bhasanadesh.up.nic.in